

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4 लखनऊ: दिनांक¹⁰ नवम्बर, 2025

विषय:- सेवा क्षेत्र में प्रदेश के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

प्रदेश के निर्यातकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, विपणन सामर्थ्य के विकास, नवीन वैश्विक बाजारों के संबंध में जागरूकता का सृजन तथा वैश्विक बाजार की मांगों व आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदेश में विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि में उत्तरोत्तर उन्नयन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा निवर्तमान राज्य निर्यात नीति 2020-25 के अंतर्गत प्रभावी शासनादेश संख्या 236/18-4-2022-10 (बजट) /07 दिनांक 13 मई 2022 के द्वारा प्रदेश की निर्माता निर्यातक इकाईयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास सहायता योजना (Marketing Development Assistance Scheme) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विगत कई वर्षों में प्रदेश के सेवा क्षेत्र से होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र राज्य के GSDP में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दे रहा है जोकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर के लक्ष्य की प्राप्ति में उसके महत्वपूर्ण रणनीतिक योगदान को इंगित करता है।

वर्तमान में प्रदेश में विशेषतः आई.टी. व आई.टी.ई.एस., फिंनटेक, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं कल्याण, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं तथा मीडिया व ऑडियो विजुअल इत्यादि सेवा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर निर्यात संभावनाएं उपलब्ध हैं जिसके लिए विपणन प्रोत्साहन के विभिन्न आयामों यथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों तथा रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट में प्रदेश के सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है।

उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक

03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित नवीन उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में नवीन योजना- "सेवा क्षेत्र में प्रदेश के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु वित्तीय सहायता" आरंभ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

योजनान्तर्गत महत्वपूर्ण शर्त एवं प्रतिबंध निम्नवत है-

1. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की सेवा क्षेत्र की ऐसी निर्यातक इकाईयां पात्र होंगी जोकि कार्य संपादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी।
2. योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित की गयी निर्यात संवर्धन परिषदों तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित निर्यातक एवं औद्योगिक संगठनों के लिए भी इस योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट प्रयोजनों यथा विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी, बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग अथवा आयोजन हेतु आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
3. योजनान्तर्गत सेवा क्षेत्र के निर्यातकों व संस्थाओं को निम्नलिखित प्रावधानों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी-
 - 3.1 विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-प्रदर्शनी व बायर सेलर मीट में व्यक्तिगत प्रतिभाग।
 - 3.2 भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनी व बायर सेलर मीट में व्यक्तिगत प्रतिभाग।
 - 3.3 विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ एवं बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
 - 3.4 भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेले, प्रदर्शनी एवं बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।
4. उपर्युक्त बिन्दु 03 में उल्लिखित प्रावधानों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी-

1. निर्यातक इकाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर सेलर मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।	(1) स्थल किराये के रूप में किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2. लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। (2) प्रतिभागी इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु इकोनॉमी श्रेणी में की गयी हवाई यात्रा पर किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1 लाख की आर्थिक सहायता केवल
--	--

		एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी।
2	निर्यातक इकाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेश में आयोजित मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर सेलर मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।	(1) स्थल किराये के रूप में किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 50 हजार की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। (2) प्रतिभागी इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु बस/रेल किराया या इकोनोमी श्रेणी के हवाई किराए पर किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25 हजार की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी।
3	विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेले, प्रदर्शनियों एवं बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।	(1) इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं बायर सेलर मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। (2) आयोजक संस्था को आयोजन पर किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 करोड़ की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। (3) आयोजक संस्था को इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तावित मेले/प्रदर्शनी/बायर सेलर मीट की संभावित तिथि से कम-से-कम एक माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ संभावित प्रतिभागी निर्यातक इकाइयों की सूची एवं अनुमानित व्यय का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के मेलों, प्रदर्शनियों एवं बायर सेलर मीट में प्रदेश की न्यूनतम 20 सेवा निर्यातक इकाइयों का प्रतिभाग अनिवार्य होगा। (5) इस श्रेणी के अन्तर्गत आयोजक संस्था द्वारा वांछित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी। शेष आर्थिक सहायता आयोजन के पश्चात व्यय विवरण एवं प्रतिवेदन के सत्यापन उपरांत जारी की जाएगी।
4	भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी व्यापार मेले,	(1) इस श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के अधीन गठित

प्रदर्शनी एवं बायर-सेलर मीट के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।	निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा स्वदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं बायर-सेलर मीट्स के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। (2) आयोजक संस्था को आयोजन पर किए गए कुल व्यय की 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 75 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। (3) इस प्रकार के मेलों, प्रदर्शनियों एवं बायर सेलर मीट में प्रदेश की न्यूनतम 20 सेवा निर्यातक इकाइयों का प्रतिभाग अनिवार्य होगा। (4) इस श्रेणी के अन्तर्गत आयोजक संस्था द्वारा वांछित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी। शेष आर्थिक सहायता आयोजन के पश्चात व्यय विवरण एवं प्रतिवेदन के सत्यापन उपरांत जारी की जाएगी।
---	---

5. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

- (1) निर्यातक इकाइयों द्वारा कार्य सम्पादन की तिथि से अधिकतम 120 दिन के भीतर दावा ऑनलाइन फाइल किया जायेगा। उक्त अवधि की गणना मेला समाप्त होने की तिथि से होगी।
- (2) सम्बन्धित निर्यातक इकाई को उनके जनपद के जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र को मेले में प्रतिभाग किए जाने संबंधी सूचना मेला प्रदर्शनी में व्यक्तिगत प्रतिभाग से पूर्व उपलब्ध करानी होगी।
- (3) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी।
- (4) इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 15 दिवसों की अवधि तक आवेदन-पत्र में हुई त्रुटियाँ स्वयं संशोधित की जा सकेंगी। उक्त 15 दिवसों की अवधि के उपरान्त दावा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर योजनान्तर्गत दावों के प्रदर्शित होने की तिथि से 21 दिवसों की अवधि में पूर्ण पाये गये दावों का परीक्षण कर संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।
- (5) अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में उपायुक्त उद्योग द्वारा पोर्टल पर दावे की अपूर्णता एवं उसका विवरण अंकित जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित अभिलेख निर्यातक इकाई द्वारा

15 दिवसों में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। इकाई द्वारा अपूर्ण दावों के संबंध में औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिवसों की अवधि में दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(6) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को दावा अग्रसारित न किये जाने अथवा दावे में अपूर्णता की स्थिति में दावा इकाई को रिवर्ट न किये जाने पर दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) निर्यातक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन फाईल किये गये ऐसे दावे, जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त किए जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

(8) उपायुक्त उद्योग से अग्रसारित दावों पर स्पष्ट संस्तुति होने पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, 30प्र0 लखनऊ द्वारा 15 दिवस में दावे को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा दावे को ऑनलाइन प्राप्त करने पर दावा एजेण्डे में सम्मिलित हो जायेगा, जिसे योजनान्तर्गत प्राधिकृत समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाईल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	प्रतिनिधि, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
5	प्रतिनिधि संबंधित सेवा निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
6	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य
7	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

7. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट

उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

8. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

9. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

10. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

11. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

Digitally signed by भवदीय
ALOK KUMAR
Date: 10-11-2025
16:58:38

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 837(1)/18-4-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय 30प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।

6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र०।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।